Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

125th MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
Held on 30.01.2020

MINUTES

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की **प्रबन्ध मण्डल** की **125वीं बैठक** दिनांक **30 जनवरी, 2020** को दोपहर 12:30 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक सूचना **परिशिष्ट–1** एवं बैठक में उपस्थित होने वाले वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति व अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु सं 1 **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन तथा सर्कुलेशन दि. 27.12.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुपालना प्रतिवेदन तथा सर्कुलेशन दि. 27.12.2019 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न प्रकरणों जैसे नर्सिंगकर्मी प्रतिनियुक्ति, अद्यीक्षक व उप–अद्यीक्षक पद, संघटक नर्सिंग कॉलेज के पदों के सृजन आदि प्रकरणों में राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति/अनुमति हेतु निवेदन किया गया। ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है उन पर चर्चा की गई। शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय से संबंधित बिन्दुओं को राज्य सरकार के संबंधित विभाग में व्यक्तिगत स्तर से प्रयास करते हुए प्रकरणों को यथाशीघ्र निर्णित कराने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय के सेवानियमों के बारे में सदन में चर्चा की गई। कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सेवानियम प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर से हो रही दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही के बारे में फॉलोअप किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के सेवानियम के संबंध में कार्मिक विभाग के स्तर की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसे अग्रिम प्रक्रिया में चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, राज. सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय के सेवानियम प्रकरण में उनके विभाग से संबंधित कार्यवाही त्वरित किये जाने के बारे में सदन को आश्वस्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 07.02.2020 को कुलपति समन्वय समिति की बैठक है, उक्त बैठक से पूर्व सेवानियमों को अंतिम रूप दिये जाने हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

विचार विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन तथा सर्कुलेशन दि. 27.12.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं 2 **विद्या–परिषद की बैठक दि. 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**
विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 11.12.2019 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विद्या–परिषद की बैठक दि. 11.12.2019 में लिये गये मुख्य–मुख्य बिन्दुओं के बारे में सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया। विचार विमर्श उपरान्त विद्या–परिषद की बैठक दि. 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 3 **निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**
निरीक्षण मण्डल की बैठक दि. 03.10.2019, 18.10.2019, 15.11.2019, 15.11.2019, 11.12.2019, 19.12.2019, 03.01.2020 एवं 17.01.2020 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **निरीक्षण मण्डल की बैठक दि. 03.10.2019, 18.10.2019, 15.11.2019, 11.12.2019, 19.12.2019, 03.01.2020 एवं 17.01.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 4 **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**
विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 17.09.2019, 03.10.2019 एवं 22.11.2019 के बैठक कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 17.09.2019, 03.10.2019 एवं 22.11.2019 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 5 **विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019 के अनुमोदन के संबंध में :–**
राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 40 विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है :–

Annual Report : *The annual report of the university shall be prepared under the directions of Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The annual report, as approved by the Board, shall be sent to the State Government for being laid on the table of the ouse of the State Lagislature.*

राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अनुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन उपरान्त इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना भी प्रस्तावित है।

निर्णय : **कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की स्थिति, कार्यो, उपलब्धियों एवं अन्य संबंधित सूचनाओं का उल्लेख किया गया है। उक्त रिपोर्ट का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से किये जाने के उपरान्त इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा ताकि इसे अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विधानसभा में पेश किया जा सके। विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019 का अनुमोदन किया गया।**

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां समस्त प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को भी प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं 6 **विश्वविद्यालय के रिसर्च अस्पताल भवन के बेसमेन्ट को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (RMSC) का 'जिला औषधि भण्डार' स्वरूप उपयोग के लिए प्राप्त पत्र के संबंध में:–**

विशेषाधिकारी, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (RMSC), जयपुर के पत्रांक 252 दि. 08.08. 2019 द्वारा विश्वविद्यालय के रिसर्च अस्पताल भवन के बेसमेन्ट को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (RMSC) का 'जिला औषधि भण्डार' स्वरूप उपयोग के लिए विश्वविद्यालय की स्वीकृति चाही गई है।

राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 3(2) के अनुसार *''विश्वविद्यालय अपने प्रयोजन के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसे किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बाते करने के लिए सक्षम होगा। परन्तु ऐसी सम्पत्ति को कोई भी पट्टा, विक्रय या अन्तरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा।'*

यह भी उल्लेखनीय है कि राज.स्वा.वि.वि. के निर्माणाधीन रिसर्च अस्पताल के भविष्य में होने वाले उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा सं. 22 में चर्चा की गई थी। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रिसर्च अस्पताल के चिकित्सा उपयोग के स्थान पर 'सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस फॉर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग' तथा नर्सिंग महाविद्यालय के संचालन हेतु उपयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अवगत कराया जावें एवं विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जावेगा। इस संबंध में डॉ. वी.एम. कटोच, NASI-ICMR Chair, RUHS की अध्यक्षता में प्रतिकुलपति, समस्त संकायाध्यक्षों, वित्त अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों की एक कमेटी कार्यरत है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को आवश्यक प्रस्ताव भी भिजवाया जा रहा है।

अतः विशेषाधिकारी, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (RMSC), जयपुर से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च अस्पताल भवन के उपयोग के संबंध में योजना तैयार की जा रही है। इस कम में राज्य सरकार को भी इस भवन के उपयोग के संबंध में पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोजित योजना के तहत उक्त भवन के बेसमेन्ट में नर्सिंग कॉलेज से संबंधित लाईब्रेरी/परीक्षा हॉल आदि निर्धारित किये गये है। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के रिसर्च अस्पताल भवन के बेसमेन्ट को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (RMSC) का 'जिला औषधि भण्डार' के रूप में उपयोग के लिए दिया जाना उचित नहीं होगा।**
प्रबन्ध मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसार राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. (RMSC) को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं 7 **Assistant Professor - Renal Transplantation (Urology) हेतु विद्या–परिषद द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के अनुसार ऑर्डिनेन्स 65 में संशोधन हेतु जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन के अनुमोदन के संबंध में :–**

उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.9(42)डी.एम.ई./2018 जयपुर दिनांक 26.12.2018 द्वारा Assistant Professor- Renal Transplantation (Urology) पद की योग्यता का निर्धारण किये जाने बाबत् विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है। विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 11.12.2019 के एजेण्डा सं. 19 में उक्त स्पेशियलिटी में सहायक आचार्य हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का निर्धारण किया गया है। विद्या–परिषद के उक्त प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 65 में आवश्यक संशोधन हेतु नोटिफिकेशन जारी किया जाना प्रस्तावित है।

राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 40 में ऑर्डिनेन्स बनाये जाने/संशाधन करने के संबंध में निम्न प्रावधान वर्णित है। :–

40. ऑर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे :–

(1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से ऑर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षिक मामलों से संबंधित कोई भी ऑर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसको कोई प्रारूप विद्या–परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप–धारा (2) के अधीन विद्या–परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप मं संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु व उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबन्ध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या–परिषद को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त ऑर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करें, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक ऑर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर–भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को ऑर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर–भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और व यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, प्रबन्ध बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या ऑर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अतः Assistant Professor- Renal Transplantation (Urology) पद की योग्यता का निर्धारण किये जाने हेतु ऑर्डिनेन्स 65 में संशोधन संबंधी विद्या–परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) की अनुपालना में प्रबन्ध मण्डल के समक्ष नोटिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत है। प्रबन्ध मण्डल के द्वारा उक्त नोटिफिकेशन का अनुमोदन किये जाने के उपरान्त इसे अधिनियम की धारा 40(4) की अनुपालना में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा।

निर्णय : **Assistant Professor- Renal Transplantation (Urology) पद की योग्यता का निर्धारण किये जाने हेतु ऑर्डिनेन्स 65 में संशोधन संबंधी विद्या–परिषद के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया। इस संबंध में जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40(4) की अनुपालना में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को दो सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं 8 **संजीवन कॉलेज आफ फार्मेसी, दौसा के संबंध में:–**

महाविद्यालय संजीवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी दौसा द्वारा सत्र 2019–2020 हेतु बी.फार्म पाठ्यक्रम की 60 सीटों की वार्षिक समब्द्धता हेतु निरीक्षण करवाया गया था। महाविद्यालय को सत्र 2019–2020 में एआईसीटीई नई दिल्ली द्वारा 30 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। महाविद्यालय के निरीक्षण उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्कूटनी कमेटी द्वारा दिनांक 05.11.2019 को सहवन से महाविद्यालय को सत्र 2019–2020 हेतु बी. फार्म पाठ्यक्रम की 30 सीटों के स्थान पर 60 सीटों की वार्षिक सम्बद्धता प्रदान किये जाने की टिप्पणी कर दी और इसी आधार पर डीन फार्मेसी संकाय द्वारा दिनांक 15.11.2019 को महाविद्यालय को बी. फार्म पाठ्यक्रम की 60 सीटों की वार्षिक सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंषा की गई। उक्त स्कूटनी कमेटी की टिप्पणी एवं डीन फार्मेसी संकाय द्वारा की गई अनुशंषा का अनुमोदन निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 11.12.2019 में किया गया।

निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 11.12.2019 के निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को बी.फार्म पाठ्यक्रम की 60 सीटों की वार्षिक सम्बद्धता प्रबन्ध मण्डल की कार्योउत्तर स्वीकृति के अध्यधीन रखते हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 21201–21213 दिनांक 01.01.2020 जारी किया गया था। उक्त पत्रावली के अवलोकन पर वस्तुस्थिति के ज्ञात होने पर उक्त आदेश के क्रम में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम हेतु सीटों की संख्या की त्रुटि को सही करते हुए सत्र 2019–2020 में 30 सीटों की संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित आदेश

क्रमांक 23525–23537 दिनांक 21.01.2020 (प्रति संलग्न) प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन की अध्यधीन रखते हुए जारी कर दिया गया है।

अतः महाविद्यालय को सत्र 2019–2020 के लिए बी. फार्म पाठ्यक्रम की 30 सीटों हेतु वार्षिक सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्रकरण को निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण के साथ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित आदेश क्रमांक 23525–23537 दिनांक 21.01.2020 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए संजीवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दौसा को सत्र 2019–2020 के लिए बी. फार्म पाठ्यक्रम की 30 सीटों हेतु वार्षिक सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं 9 माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरूद्ध अपील नो अपील के विनिश्चय हेतु गठित प्री–लिटिगेशन कमेटी (स्थायी समिति) के पुर्नगठन के सम्बन्ध में :–

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 17099 दिनांक 26.12.2015 द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से/विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में दायर होने वाली अपीलों में निर्णय बाबत पृथक से स्थायी समिति का गठन किया गया है जो निम्न सदस्यों से मिलकर बनी है:–

1. डॉ बलवीर सिंह राठौड (उपकुलसचिव राज.स्वा.वि.वि.)
2. श्री सुनील कुमार जैन (लेखाधिकारी, राज.स्वा.वि.वि.)
3. प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित शाखा
4. प्रभारी अधिकारी वाद

उल्लेखनीय है कि स्थायी समिति की सरंचना के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी कर रखे है जिसके अनुसार स्थायी समिति निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी (प्रति संलग्न)।

1. सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव–अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा नामित संयुक्त विधि परामर्शी स्तर का अधिकारी–सदस्य
3. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग(यदि मामला सेवा से सम्बन्धित हो)–सदस्य
4. शासन उप सचिव, वित्त (नियम)विभाग, यदि मामला वित्त के सम्बन्धित हो–सदस्य
5. सम्बन्धित विभाग का उपसचिव/लिटिगेशन इंचार्ज/नोडल अधिकारी–सदस्य

विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्थायी समिति की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, कुलसचिव महोदय द्वारा नही किये जाने के कारण उक्त स्थायी समिति अपूर्ण प्रतीत हुई जिसका निम्नानुसार पुर्नगठन निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

1. कुलसचिव (अध्यक्ष)
2. उपकुलसचिव राज.स्वा.वि.वि. (सदस्य)
3. सम्बन्धित शाखा का प्रभारी अधिकारी (सदस्य)
4. लेखाधिकारी (सदस्य)
5. प्रभारी अधिकारी विधि/कनिष्ठ विधि अधिकारी (सदस्य)

प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार विमर्श उपरान्त उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरूद्ध अपील नो अपील के विनिश्चय हेतु प्रस्तावित प्री–लिटिगेशन कमेटी (स्थायी समिति) के पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया। डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा कहा गया कि इस कमेटी द्वारा लिये जाने वाले निर्णय बहुत संवेदनशील प्रकृति के होंगे एवं विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अतः इस कमेटी में विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा प्रतिकुलपति को भी सम्मिलित किया जाना उचित होगा।**

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों की कियान्विति विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त की जावेगी।

बिन्दु सं 10 **विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गई राशि रू. 1.50 करोड़ को गेल (इंडिया) लिमिटेड को वापस लौटाये जाने बाबत।**

(सन्दर्भः–गेल (इंडिया) लिमिटेड का पत्र क्रमांक गेल/जेपीआर/मा.सं/सीएसआर/2020/123 दिनांक 14.01.2020 I)

विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत राशि रू. 1.50 करोड़ जारी की गयी थी, जिसका उपयोग राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न जयपुरिया चिकित्सालय द्वारा Cath Lab PPP मोड पर लिये जाने के कारण गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी राशि का उपयोग नहीं हो पाया था।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक 4093 दिनांक 21.06.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त राशि का उपयोग लोकहित में अन्य किसी प्रकार से किया जा सकता है, तो इस बाबत गेल (इंडिया) लिमिटेड के उच्चाधिकारियों से विचार–विमर्श उपरांत निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सूचित किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था।

अतिरिक्त निदेशक के उक्त पत्र के क्रम में उक्त राशि का लोकहित में अन्य किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है के निर्णय हेतु विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.10.2018 में प्रकरण रखा गया था। प्रबन्ध बोर्ड की उक्त बैठक में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जारी राशि रू. 1.50 करोड़ के लोकहित में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना एवं इसकी कियान्विति हेतु गेल इंडिया लिमिटेड की स्वीकृति उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। (प्रति संलग्न)

प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के क्रम में वि.वि. पत्र क्रमांक 17131 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान की गयी राशि का उपयोग लोकहित में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्थापित की जा रही स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना के कार्य में उपयोग लिये जाने की स्वीकृति दिये जाने पुनः गेल इंडिया लिमिटेड को निवेदन प्रस्तुत किया गया (प्रति संलग्न)

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 17131 दिनांक 27.11.2018 के क्रम में गेल इंडिया लिमिटेड से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दिये गये राशि रू. 1.50 करोड़ का CSR Policy के अनुसार दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किये जा सकने बाबत लिखा गया है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड के पत्र के माध्यम से Cath Lab की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को दी गयी राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने बाबत पत्र प्राप्त हुआ। (प्रति संलग्न)

अतः गेल इंडिया लिमिटेड से CSR योजना के तहत "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु प्राप्त राशि रू. 1.50 करोड को वापस लौटाये जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण को पुनः विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में रखा गया जिसके एजेण्डा संख्या 23 में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल ने गेल इण्डिया लिमिटेड से प्राप्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अन्य उपयोग (जैसे स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना) हेतु ही किये जाने का पुनः निर्णय लिया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 22236 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा उक्त राशि का उपयोग लोकहित में अन्य उपयोग में किये जाने की स्वीकृति जारी करने हेतु लिखा गया।

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 22236 दिनांक 07.01.2020 के क्रम में गेल इंडिया लिमिटेड का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा

सीएसआर योजना के तहत दिये गये राशि रू. 1.50 करोड़ का CSR Policy के अनुसार दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किये जा सकने बाबत लिखा गया है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड के पत्र के माध्यम से Cath Lab की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को दी गयी राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने का निवेदन किया गया है। (प्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि गेल इंडिया लिमिटेड के संदर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस राशि को लौटाये जाने के उपरान्त पुनः लोकहित के कार्यों जैसे स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना के लिए विस्तृत योजना विवरण गेल प्रबंधन के विचार हेतु कार्यालय में प्रस्ताव भेजा जा सकता है। गेल इंडिया लिमिटेड के संदर्भित पत्र में बताया गया है कि यह मुददा सीएजी ऑडिट में पिछले कई वर्षों से एक गंभीर ऑडिट पैरा लम्बित है और समय–समय पर इस ऑडिट पैरा को सीएजी, शीर्ष प्रबंधन के सामने उठाती रहती है। अतः गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा विश्वविद्यालय को सीएसआर योजना के तहत प्रदान की गयी राशि को पुनः गेल इंडिया लिमिटेड को लौटा दिया जावे।

अतः विश्वविद्यालय को "Cath Lab at Centre for Excellence for Medical Research, Training & Super Speciality Hospital" की स्थापना हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दी गयी राशि को पुनः गेल (इंडिया) लिमिटेड को लौटाये जाने के संबंध में प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन के समक्ष प्रकरण को विस्तार से अवगत कराया गया। कुलसचिव द्वारा कहा गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा संख्या 23 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त राशि रू. 1.50 करोड का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा स्वाईन फ्लू लैब (VDRL) की स्थापना के लिए किये जाने का प्रस्ताव गेल इण्डिया लिमिटेड को भेजा जा चुका है, परन्तु गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीएसआर योजना के तहत दिये गये राशि रू. 1.50 करोड़ का CSR Policy के अनुसार दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किये जा सकने बाबत अवगत कराया गया है।**

इस संबंध में विचार विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त उक्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जाने की स्वीकृति हेतु पुनः प्रयास किये जावें। कुलपति महोदय द्वारा भी यह कहा गया कि उनके स्तर पर इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

बिन्दु सं 11 विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में:–
(संदर्भ :– सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, राजस्थान का पत्रांक 6378 दिनांक 21.08.2019)

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के संदर्भित पत्रांक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.03.2019 के क्रम में राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 07.03.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर व्यवस्था लागू की जानी है। निर्देशानुसार राज्यपाल सचिवालय, राजभवन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रों के क्रम में विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर तैयार किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय सेवा नियमों हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 16.12.2019 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। अतः बैठक में चर्चा उपरान्त समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए मेडिकल एवं डेन्टल संकाय के विभिन्न विभागों को वर्णक्रमानुसार (Alphabetic) निर्धारित करते हुए उनमें राज्य सरकार द्वारा जारी 100 पॉइन्ट आरक्षण रोस्टर लागू किया जावें।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार श्री के.सी.डी. माथुर से प्राप्त आरक्षण रोस्टर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि उक्त रोस्टर को तैयार किये जाने हेतु किस पद्धति का उपयोग किया गया है, इसका उल्लेख सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर व्यवस्था लागू की जावे। सेवा नियम समिति के समुख रखा गया जिसमें उक्त निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए 100 पॉइन्ट आरक्षण रोस्टर सहायक आचार्य, व. प्रदर्शक एवं सीनियर रेजीडेन्ट पदो के हेतु श्री के.सी.डी. माथुर, सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है। उक्त रोस्टर के निर्धारण में निम्न प्रकिया/पद्धति अपनाई गई है :–

1. विश्वविद्यालय में मेडिकल एवं डेन्टल संकाय में स्वीकृत पदों को इकजाई कर विभिन्न विभागों को वर्णक्रमानुसार (Alphabetic) निर्धारित किया गया है।
2. विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
3. पूर्व में जो कार्मिक जिस केटेगरी में नियमित रूप से चयनित उपलब्ध है उन्हें आरक्षण रोस्टर में उसी केटेगरी में सम्मलित किया गया है।

विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार श्री के.सी.डी. माथुर से प्राप्त आरक्षण रोस्टर (सहायक आचार्य, व. प्रदर्शक एवं सीनियर रेजीडेन्ट पदो के हेतु) को अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त रोस्टर की सूचना राजभवन को प्रेषित कर दी जावे।

डॉ. सुधांशु कक्कड, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कहा गया कि जयपुरिया चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय के नवीन 500 बैड के चिकित्सालय के संचालन हेतु जूनियर व सीनियर रेजीडेन्ट्स के पदों (Tenure Post) को शीघ्र ही उपरोक्त रोस्टर के अनुसार भरा जाना प्रस्तावित है। डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय विधायक द्वारा कहा गया कि चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु रेजीडेन्ट्स के पद भरे होने बहुत आवश्यक है। विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय/चिकित्सालय हेतु स्वीकृत व रिक्त जूनियर व सीनियर रेजीडेन्ट्स के पदों (Tenure Post) को एक वर्ष के लिए शीघ्र ही निर्धारित प्रकिया के तहत भर लिया जावे।

बिन्दु सं 12 सहायक आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूट्र की भर्ती (शैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2015) के लम्बित प्रकरण के संबंध में :–

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2015 के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–
राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.सी.आई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज.सरकार के पत्रांक प.23(14)एम.ई./ग्रुप–1/2014 दिनांक 10.11.2015 द्वारा चिकित्सक शिक्षकों कुल 67 पदों (आचार्य, सह–आचार्य, सहायक–आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूटर के पदों) पर सीधी भर्ती हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संस्थापन अनुभाग–द्वितीय से उक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु पदवार रोस्टर की प्रति के साथ यू.ओ.नोट क्रमांक 15964 दिनांक 07.12.2015 प्राप्त हुआ। **(अनुलग्नक–1)**

उक्त भर्ती पर उचित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए 59 पदों के लिए सीधी भर्ती आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक 16252 दिनांक 10.12.2015 जारी किया गया। **(अनुलग्नक–2)** तथा अभ्यर्थियों के लिए ऑन–लाईन आवेदन पत्रों तथा आवश्यक जानकारी हेतु इन्फारेमेशन बुकलेट जारी की गयी, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान दर्शायें गयें हैं:–

" The decision of the RUHS in all aspects and all respects pertaining to the application and its acceptance or rejection as the case may be, conduct of recruitment process and at all consequent stages culminating in the selection or otherwise of any candidate shall be final in all respects and binding on all concerned.
RUHS reserves its right to alter and modify time and conditions laid down in the notification for conducting the various stages up to selection, duly intimating details thereof on the RUHS website, as warranted by any unforeseen circumstances arising during the course of this process, or as deemed necessary by the RUHS at any stage."

राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए विभिन्न स्वीकृत 59 शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु जारी इन्फारेमेशन बुकलेट के अनुसार जहां पर प्रत्येक एक पद के लिए यदि 10 आवेदन तक प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए केवल सीधा साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा तथा एक पद पर 10 आवदेन से अधिक प्राप्त होने पर स्क्रीनिंग ऑन–लाईन टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक पद के लिए प्रथम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयन किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त भर्ती के लिए प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन पत्रों में जिन पदो के लिए एक पद के विरूद्ध 10 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए उन पदो के लिए यथा आचार्य, सह–आचार्य, सहायक–आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूटर के पदों हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट 25 फरवरी एवं 26 फरवरी 2016 को ऑन–लाईन भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया। **(अनुलग्नक–3)**

सहायक–आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूटर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट 25 फरवरी एवं 26 फरवरी 2016 तक आयोजित किये जा चुके है परन्तु सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती हेतु एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड में जोडे गय Minimun Qualification for teachers in Medical Institutions Regulaitons, 1988 में दिनांक 08.06.2017 को संशोधन उपरान्त सहायक आचार्य के पदों हेतु Teaching & Research Experience के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान जोडा गया है।

"3 years junior in recognized medical colleges in the concered subject and one year as seinor Resident in the concerned in a recogonized medical college."

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में विज्ञापित सहायक आचार्य के पदों हेतु ऑन–लाईन स्क्रीनिंग टेस्ट दिनांक 25 फरवरी एवं 26 फरवरी 2016 तक आयोजित कराये जा चुके थे प्ररन्तु साक्षात्कार आयोजित नहीं किये जा सके। सहायक आयार्च के लिए एम.सी.आई. द्वारा भर्ती के लिए जोड़े गये प्रावधान से पूर्व विश्वविद्यालय की भर्ती प्रकिया शुरू कर स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कराये जा चुके थे अतः एम.सी.आई. द्वारा जोड़े गये प्रावधान के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्रांक 16585 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम.सी.आई.) आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु लिखा गया जिसका जवाब एम.सी.आई. से प्राप्त नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन हेतु पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 6184 दिनांक 22.06.2018 एवं 2290 दिनांक 15.05.2019 भिजवाया गया इस पर एम.सी.आई. द्वारा अभी तक कार्यवाही अपेक्षित है। **(अनुलग्नक–4)**

सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम.सी.आई.) नई दिल्ली, द्वारा सहायक आचार्य के पदों की योग्यता के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सहायक आचार्य तथा डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूटर इत्यादि अन्य के पदों की भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में लम्बित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक भर्ती परीक्षा 2015 में आवेदित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में कोर्ट केस, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005., राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम तथा विभिन्न विधानसभा के प्रश्नों के माध्यम से उक्त भर्ती परीक्षा की कार्यवाही के सबंध में सूचना चाही जाती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उक्त भर्ती परीक्षा लगभग 4 वर्ष से लम्बित है। उपरोक्त तथ्यों के क्रम में सहायक आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं टूयट्र की भर्ती (शैक्षणिक भर्ती परीक्षा 2015) का प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **कुलसचिव द्वारा सदन को प्रकरण के बारे में विस्तार से अवगत कराया। यह अवगत कराया गया कि सहायक आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूट्र की भर्ती (शैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2015) के आवेदन के समय से वर्तमान समय तक योग्यता, आरक्षण आदि के संबंध में परिवर्तन हुए है, अतः वर्तमान परिस्थितियों में उक्त भर्ती के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व महाधिवक्ता राजस्थान की विधिक राय ली जानी उचित होगी।**

डॉ. राजकुमार शर्मा, माननीय विधायक द्वारा कहा गया कि इस प्रकरण में ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए जिससे कि लिटिगेशन नहीं हो क्योंकि प्रकरण न्यायालय में लंबित होने से आवेदक अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है।

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहायक आचार्य, डेमोस्ट्रेटर एवं ट्यूट्र की भर्ती (शैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2015) के संबंध में अग्रिम कार्यवाही के संबंध में शीघ्र ही महाधिवक्ता राजस्थान से विधिक राय प्राप्त की जावे एवं तदानुसार ही अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे।

बिन्दु सं 13 विश्वविद्यालय अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2017 के विभिन्न 117 पदों की भर्ती के लम्बित प्रकरण के संबंध में:–

विश्वविद्यालय की अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2017 के विभिन्न पदों की भर्ती के लम्बित प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति विवरण निम्नानुसार है:–

राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग राज.सरकार का पत्रांक प.9(122)/डीएमई/2016/3300 दिनांक 17.05.2017 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं इन पदों पर एम.सी.आई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भरने हेतु विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में Kept in Abeyance रखे गये विभिन्न अशैक्षणिक पदों को राज्य सरकार द्वारा पुनर्जीवित किये जाने के साथ–साथ विश्वविद्यालय के पूर्व में रिक्त चल रहे विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय के संस्थापन शाखा–द्वितीय से यू.ओ.नोट कमांक 10725 दिनांक 08.09.2017 प्राप्त हुआ। **(अनुलग्नक–01)**

विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा Kept in Abeyance रखे गये अशैक्षणिक पदों को राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.9(122)/डीएमई/2016/3300 दिनांक 17.05.2017 द्वारा पुनर्जीवित किये गये पदों को निम्नलिखित शर्तों के तहत उक्त पदों को भरे जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी थी:–

1. आर.यू.एच.एस. पदो को भरने से पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतन) नियम 2008 में वित्त (नियम) विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नोटिफिकेशन/संशोधनों के अनुसार पदों के वेतनमान एवं ग्रेड पे की सुनिश्चिता आवश्यक रूप से करावें।
2. पदों में से जो पद सेवानियमों में नहीं है, विश्वविद्यालय उन पदों को भर्ति से पूर्व नियमानुसार सेवानियमों में सम्मिलित करने, भर्ति प्रक्रिया एवं वेतनमान निर्धारित कराने की कार्यवाही करावें।
3. विश्वविद्यालय उपरोक्त सृजित पदों को सेवा नियमों में नियत प्रावधानों एवं नियत प्रक्रियानुसार ही भरने की कार्यवाही करावें।
4. उपरोक्तानुसार सृजित समस्त पदों का वित्तिय भार विश्वविद्यालय की स्वयं की आय के स्त्रोत से वहन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के स्वयं के सेवानियम/स्टेट्यूटस नही होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा जारी सेवानियमों के अनुरुप राज.स्वा.वि.वि. के उपरोक्त विभिन्न अशैक्षणिक 117 पदों की भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल की बैठक में विश्वविद्यालय के संस्थापन शाखा–द्वितीय से यू.ओ.नोट कमांक 10725 दिनांक 08.09.2017 के साथ प्राप्त विभिन्न पदो के लिए रोस्टर इत्यादि के आधार पर विज्ञप्ति (नोटिशिकेशन) जारी किये जाने की अनुशंषा के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों में भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति जारी की गयी।तथा अभ्यर्थियों के लिए ऑन–लाईन आवेदन पत्रों तथा आवश्यक जानकारी हेतु इन्फारेमेशन बुकलेट जारी की गयी। **(अनुलग्नक–02)**

उक्त अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय की प्रवेश एवं भर्ती सैल की बैठक दिनांक 08.09.2017 में रखा जाकर उक्त अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा के लिए संयोजक के नाम का विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ओ.बी.सी. बैंक में संयोजक–अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा 2017 के नाम का खाता खुलवाया गया जिसमें ऑन–लाईन आवेदन पत्रों की शुल्क जमा की जायेगी। साथ ही उक्त अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2017 के 117 विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवदनों पत्रो से कुल अर्जित आय रुपये 3,03,63,486/–(तीन करोड, तीन लाख, तरैसठ हजार, चार सौ छियासी रुपये) प्राप्त हुई।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न 117 पदों (Technician/Tech. Asstt/Lab. Tech./Steno/ LDA (Record Clerk) / Literate Attendent / Lab Attendent / MO (Lady) / Medical Soocial Worker / Psychiatric Social Worder / Sanitary Inspector (Health) / Nurse Grade-II / MRO / Deputy Liberian / Radiographer) के लिए विज्ञप्ति दिनांक 20.09.2017 जारी कर ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त विभिन्न अशैक्षणिक 117 पदों के विरूद्ध अन्तिम तिथि तक ऑन–लाईन कुल 12717 आवदेन पत्र प्राप्त हुयें। **(अनुलग्नक–03)**

उक्त भर्ती परीक्षा से संबंधित समय–समय पर आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल की समस्त बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन प्रबन्ध मंडल की बैठक दिनांक 01.10.2018 में किया गया परन्तु प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल की बैठक दिनांक 14.03.2018 जिसमें उक्त अशैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रमों (सेलेबस) एवं परीक्षा की स्कीम से सम्बन्धित लिये गये निर्णय का अनुमोदन उक्त बैठक में नहीं किया गया। **(अनुलग्नक–04)**
विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति माह अक्टूबर 2017 में निकाली गयी थी तत्समय राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) को आरक्षण दिये जाने का कोई प्रावधान नही था। उक्त भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में लम्बित है तथा कार्मिक विभाग,राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के अनुसार राज्य में आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के लिए नियुक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवा नियमों/स्टेटयूटस राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित हैं तथा समय–समय पर विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा सूचना के अधिकार/सम्पर्क पोर्टल तथा विभिन्न विधानसभा प्रश्नों के माध्यम से विश्वविद्यालय से उक्त भर्ती कब तक पूर्ण की जायेगी के संबंध में सूचनाऐं मांगी जाती रही है। वर्तमान में उक्त भर्ती परीक्षा लगभग 2 वर्ष से लम्बित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में वि.वि. अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2017 के विभिन्न पदों की भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण को विश्वविद्यालय की आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उचित निर्णयार्थ रखा जाना है।

निर्णय : **कुलसचिव द्वारा सदन को प्रकरण के बारे में विस्तार से अवगत कराया। यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के सेवानियम नहीं होने के कारण उक्त भर्ती प्रकिया को पूर्ण नहीं किया जा सका है। अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती विश्वविद्यालय के सेवानियम अनुमोदन होने के उपरान्त ही की जानी उचित होगी।**

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय "अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा–2017" के विभिन्न 117 पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावे एवं संबंधित अभ्यर्थियों को उनका आवेदन शुल्क भी शीघ्र लौटा दिया जावे। विश्वविद्यालय के सेवानियमों के अनुमोदन के उपरान्त सेवानियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए ही विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर शीघ्र भर्ती की जावें।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भर्ती में सम्मिलित किये गये नर्स ग्रेड–2 के पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही भरा जावे क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भी ऐसे पदों को भरने हेतु राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निवेदन किया जा चुका है। सदस्यों का यह मत था कि नर्स ग्रेड–2 की भर्ती एक ही प्रकिया के तहत होने से उनके केडर में भिन्नता नहीं आयेगी। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं 14 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क संचरना में परिवर्तन के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की 150 सीटें स्वीकृत है जिनका सत्र 2019–20 का केटेगरी वर्गीकरण एवं प्रति छात्र शिक्षण शुल्क निम्नानुसार है :–

क. सं.	सीट प्रतिशत	केटेगरी वर्गीकरण	वर्तमान शिक्षण शुल्क	संदर्भ
1	15%	All India Qouta	Rs. 21296/- per year	As per State Govt.
2	35%	State Qouta	Rs. 21296/- per year	As per State Govt.
3	35%	Payment Qouta	Rs. 720000/- per year	As per Jhalawar Modal
4	15%	NRI Qouta	US$ 80000 entire course	As per Jhalawar Modal

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु सं. 11 में यह चर्चा की गई थी कि वि.वि. के संघटक मेडिकल कॉलेज में एन.आर.आई. सीटों पर निर्धारित फीस RAJMES के मेडिकल कॉलेजों की एन.आर.आई. सीटों की फीस की तुलना में कम है, उक्त एन.आर.आई. फीस को RAJMES के मेडिकल कॉलेजों की एन.आर.आई. सीटों की फीस के समकक्ष किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के आदेशानुसार वि.वि. एवं इसके संघटक महाविद्यालयों के कार्मिकों हेतु सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जा चुका है जिससे वर्तमान में नियुक्त फैकल्टी को दिये जाने वाले वेतन की कुल वार्षिक खर्च राशि महाविद्यालय की कुल वार्षिक आय से बहुत अधिक है। निकट भविष्य में अन्य रिक्त पदों पर भर्ती/पदोन्नतियां होने के उपरान्त वेतन मद के व्यय में और अधिक वृद्धि होनी निश्चित है एवं राज्य सरकार/यू.जी.सी. आदि से वेतन व अन्य खर्चों हेतु वि.वि. को कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रतिवर्ष होने वाली आय व व्यय के वृहद अन्तर के दृष्टिगत महाविद्यालय को वित्तीय रूप से सुदृढ बनाने बाबत् कुलपति महोदय ने प्रस्ताव रखा कि इस महाविद्यालय की एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की एन.आर.आई. सीटों (15%) के अतिरिक्त अन्य समस्त सीटों (85%) पर शुल्क पेमेन्ट सीट शुल्क *(वर्तमान परिदृश्य में राशि रू. 7.20 लाख प्रतिवर्ष प्रति सीट)* के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन उपरान्त वि.वि. के आय–व्यय के पूर्ण ब्यौरे के साथ प्रस्ताव को पुनः आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाना उचित होगा, इस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अतः राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. कोर्स की फीस संरचना सत्र 2020–21 से निम्नानुसार की जानी प्रस्तावित है :–

क.सं.	सीट प्रतिशत	केटेगरी वर्गीकरण	प्रस्तावित शिक्षण शुल्क	संदर्भ
1	15%	All India Qouta	Rs. 750000 per year + other fee	As per payment qouta of RAJMES
2	35%	State Qouta	Rs. 750000 per year + other fee	As per payment qouta of RAJMES
3	35%	Payment Qouta	Rs. 750000 per year + other fee	As per payment qouta of RAJMES
4	15%	NRI Qouta	US$ 110250 entire course + other fee (5% increase every year)	As per NRI qouta of Govt. Medical Colleges of State

प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : बैठक में उपस्थित वित्त अधिकारी द्वारा सदन को विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होनें बताया कि महाविद्यालय के संचालन से संबंधित खर्चों के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो रही है एवं ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को वित्तीय रूप से Self Sustainable बनाये जाने की दृष्टि से इस महाविद्यालय के फीस पैटर्न में आवश्यक बदलाव किया जाना बहुत आवश्यक है।

प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से प्राप्त किया जाने वाल शिक्षण व अन्य शुल्क RAJMES के मेडिकल कॉलेजों से भी कम है। इसके अतिरिक्त वि.वि. के संघटक मेडिकल कॉलेज में एन.आर.आई. कोटे की फीस भी राजस्थान के अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों से कम है। सदस्यों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों, RAJMES के मेडिकल कॉलेजों, झालावाड मेडिकल कॉलेज एवं राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के एम.बी.बी.एस. फीस का एक तुलनात्मक विवरण उपलब्ध कराया गया। डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय विधायक द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय की फीस को RAJMES के मेडिकल कॉलेजों की फीस के समकक्ष किया जाना उचित होगा क्योंकि यह फीस पैटर्न राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित है।

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि. वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के विभिन्न कोटे की सीटों पर RAJMES के मेडिकल कॉलेजों के फीस पैटर्न के अनुसार शिक्षण व अन्य शुल्क प्राप्त किया जावे। यह परिवर्तित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020–21 से लागू होगा।

बिन्दु सं 15 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1284/2020 *Private Physiotherapy, Nursing and Para Medical Institutions Society of Jaipur V/s RUHS & ors.* में मेजर आर.पी. सिंह, ए.ए.जी. को वि.वि. पैरवी हेतु नियुक्त किये जाने एवं उनकी फीस भुगतान के संबंध में :–

Private Physiotherapy, Nursing and Para Medical Institutions Society of Jaipur द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 के सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर के संबंध में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1284/2020 दायर की गई है। यह रिट याचिका विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020–21 के सम्बद्धता शुल्क में गत वर्ष के सम्बद्धता शुल्क में की गई 15 प्रतिशत की बढोतरी को लेकर है।

उल्लेखनीय है कि गत शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर के संबंध में भी उक्त सोसायटी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 27348/2018 दायर की गई थी, जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 17.12.2018 को पारित किया जाकर शैक्षणिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर पर स्थगन दिया गया है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है।

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.08.2014 में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि प्रभारों में 15% की समान दर से सत्र 2015–16 से आगामी पांच वर्षों तक (सत्र 2019–20 तक) प्रतिवर्ष वृद्धि की जावेगी। उक्त निर्णय की अनुपालना में सत्र 2015–16 से 2019–20 तक नियमित 15% की समान दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की गई एवं तत्संबंधी सम्बद्धता शुल्क आदेश समय–समय पर जारी किये गये हैं। तत्पश्चात प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में पुनः विश्वविद्यालय की खराब वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2020–21 में भी 15% की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया जाकर तदानुसार ही सम्बद्धता शुल्क आदेश 2020–21 जारी किया गया है।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1284/2020 के संबंध में विश्वविद्यालय के पेनल अधिवक्ता श्री आशीष सिंह को तथ्यात्मक रिपोर्ट मय आवश्यक अनुलग्नक उपलब्ध करा दी गई है। पेनल

अधिवक्ता द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त पत्र दिनांक 23.01.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रकरण की संवेदनशीलता, विश्वविद्यालय की खराब वित्तीय स्थिति, समान याचिकाकर्ता द्वारा गत वर्ष में लिये गये स्टे ऑर्डर आदि के दृष्टिगत यह उचित होगा की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1284/2020 में माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से पूर्व किसी वरिष्ठ अधिवक्ता अथवा ए.ए.जी. स्तर के अधिवक्ता के सेवाऐं ली जानी उचित होगी।

प्रकरण की संगीनता के दृष्टिगत मेजर आर.पी. सिंह, ए.ए.जी. द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से प्रकरण में पैरवी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई। उन्होने प्रकरण में पैरवी हेतु अपनी फीस राशि रू. 5.00 लाख बताई। विश्वविद्यालय की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत कराते हुए वित्तीय अवरोधों के दृष्टिगत उन्हें अपनी फीस को कम करने हेतु कुलसचिव द्वारा निवेदन किया गया। अंततः उन्होंने प्रकरण में सम्पूर्ण फीस राशि रू. 2.50 लाख भुगतान किये जाने हेतु कहा गया। इस संबंध में मेजर आर.पी. सिंह से प्राप्त पत्र दिनांक 25.01.2020 संलग्न है।
उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रभावी पैरवी की जानी अति आवश्यक है। उक्त रिट याचिका में विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क की राशि में 15 से 30 प्रतिशत की हानि होने की सम्भावना है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए एक बडा वित्तीय नुकसान होगा। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के वर्तमान परिदृश्य में इस वित्तीय हानि को विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी करके बचाया जा सकता है।

प्रकरण से संबंधित यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु सं. 35 सदस्यों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि भविष्य में व.अधिवक्ता अथवा महाविवक्ता से प्रकरणों में पैरवी अथवा राय प्राप्त किये जाने से पूर्व फीस की राशि की जानकारी पैरवी/राय दिये जाने से पहले ही निश्चित की जावे।

अतः एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1284/2020 में प्रभावी एवं मजबूत पैरवी करने हेतु विश्वविद्यालय पेनल अधिवक्ता श्री आशीष सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मेजर आर. पी. सिंह, ए.ए.जी. को भी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मेजर आर.पी. सिंह, ए.ए.जी. द्वारा इस प्रकरण में मांगी गई फीस राशि रू. 2.50 लाख के भुगतान का भी अनुमोदन हेतु भी प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि यह प्रकरण विश्वविद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण है जिसमें अति. महाधिवक्ता स्तर के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विश्वविद्यालय की और से पैरवी की जानी बहुत आवश्यक है। कुलसचिव द्वारा कहा गया कि प्रकरण की संगीनता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त अति. महाविवक्ता को प्रकरण में विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु नियुक्त किया जा चुका है। कुलसचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्होंने उक्त केस में नियुक्त OIC & Add. OIC के साथ फीस में आवश्यक नेगोशिएशन अति. महाधिवक्ता से किया जा चुका है जिस पर नेगोशिएशन उपरान्त अति. महाधिवक्ता द्वारा राशि रू. 2.50 लाख की फीस इस प्रकरण हेतु तय/अंतिम की गई है।**

विचार–विमर्श उपरान्त एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1284/2020 में पेनल अधिवक्ता के साथ विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु अति. महाधिवक्ता की नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं इस प्रकरण में अति. महाधिवक्ता की फीस राशि रू. 2.50 लाख के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं 16 एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 26010/2018 डॉ असरार अहमद बनाम आरयूएचएस प्रकरण में महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा वि.वि. की ओर से की गई पैरवी के बिल के भुगतान के संबंध में:–

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु सं. 35(C) में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 26010/2018 डॉ असरार अहमद बनाम आरयूएचएस प्रकरण में महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा वि.वि. की ओर से की गई पैरवी के बिल के भुगतान के संबंध में चर्चा की गई।

माननीय सदस्यों का मानना था कि महाविक्ता द्वारा प्रस्तुत बिल राशि अत्याधिक है, जो कि न तो राज्य सरकार के प्रावधानों में है और न ही अन्य विश्वविद्यालयों (जैसे राज. वि.वि.) में प्रचलित है।

विचार विमर्श उपरान्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पैरवी के दौरान महाधिवक्ता की उपस्थिति एवं बहस की तिथियों को आधार मानते हुए फीस राशि में नेगोशिएशन किया जावे। नेगोशिएशन उपरान्त नेगोशिएटेड राशि का बिल पुनः प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि भविष्य में व.अधिवक्ता अथवा महाविवक्ता से प्रकरणों में पैरवी अथवा राय प्राप्त किये जाने से पूर्व फीस की राशि की जानकारी पैरवी/राय दिये जाने से पहले ही निश्चित की जावे।

प्रबन्ध मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसार महाधिवक्ता से नेगोशिएशन किया गया परन्तु उन्होंने प्रकरण में फीस की राशि कम करने से मना किया है। अतः प्रकरण पुनः विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **चर्चा उपरान्त एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 26010/2018 *डॉ असरार अहमद बनाम आरयूएचएस* प्रकरण में महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा वि.वि. की ओर से की गई पैरवी के बिल के भुगतान राशि रू. 5.00 लाख का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं 17 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में तत्काल/अस्थाई (UTB) आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की सेवा अवधि में विस्तार के संबंध में :–**

निर्णय : सदन को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की कार्य समयावधि संबंधी प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति अवगत कराई गई, जो निम्नानुसार है :–

1. राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्ष 2014 से तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्तियां की जा रही है।
2. विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.04.2015 के प्रस्ताव संख्या 13 में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा 01 वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्ति विश्वविद्यालय से अनुमोदन उपरान्त की जा सकेगी। 01 वर्ष उपरान्त उक्त अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) से अनुमोदन आवश्यक है।
3. प्रबन्ध मण्डल की उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर 01 वर्ष की अवधि तक आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर से की गई तथा 01 वर्ष उपरान्त उक्त अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव समय–समय पर प्रधानाचार्य से प्राप्त अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भिजवाया गया।
4. राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) से समय–समय पर प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृतियों के आधार पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की कार्य समयावधि में अभिवृद्धि की गई।
5. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत अधिकतर चिकित्सक शिक्षक विगत लम्बी अवधि (02 से 5 वर्ष) से निरन्तर कार्य कर रहे है।
6. इस क्रम में उल्लेख है कि प्रबन्ध मण्डल की 123वीं बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 44 में यूटीबी प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

"बैठक में उपस्थित अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (संयुक्त सचिव, वित्त–व्यय) द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल/अस्थायी आधार की नियुक्तियों की प्रक्रिया न्यूनतम रूप से अपनाई जावे तथा विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियमों के अनुमोदन होने के उपरान्त नियमानुसार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु ही यथासंभव कार्यवाही की जावे। विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल/अस्थायी आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां निर्धारित अवधि अधिकतम 01 वर्ष (प्रथमतः 06 माह विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्ति,

फिर आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय स्तर से आगामी 06 माह तक सेवा अवधि विस्तार) तक ही सीमित रखी जावें।

बैठक में उपस्थित अति. निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि किसी भी यूटीबी नियुक्ति प्रकरण में निरन्तरता अवधि 01 वर्ष से अधिक नही होवे इस बिन्दु को आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। यूटीबी नियुक्ति का 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि संबंधित पद को यूटीबी से भरा जाना आवश्यक समझा जाता है तो उस पद पर नवीन यूटीबी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया (वाक–इन–इंटरव्यू) के तहत आवेदन प्राप्त किये जाकर की जावें।"

7. प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय का पत्रांक 16596 दिनांक 05.11.2019 प्रेषित कर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की कार्य समयावधि में अभिवृद्धि किये जाने संबंधी प्रकरणों में प्रबन्ध मण्डल में लिये गये उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
8. विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में प्रधानाचार्य ने अपने कार्यालय आदेशांक 16106 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षक डॉ. प्रियंका शर्मा, सहायक आचार्य को उनकी अंतिम कार्य समयावधि दिनांक से कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध डॉ. प्रियंका शर्मा ने माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 21722/2019 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 20.12.2019 को स्टे आदेश जारी किया है।
9. साथ ही उल्लेखनीय है कि एस.बी. सिविल रिट संख्या 12770/2019 डॉ. किरण शर्मा व अन्य बनाम स्टेट व अन्य तथा एस.बी. सिविल रिट संख्या 14530/2019 शैलेश जैन व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक क्रमशः 06.08.2019 व 28.08.2019 को निम्नानुसार अन्तरिम आदेश पारित किये गये है :–

   "In the meanwhile, services of the petitioners shall not be substituted by another set of contractual employees."

10. उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का पत्रांक 19762 दिनांक 12.12.2019 प्रेषित किया गया।
11. प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने अपने पत्रांक 19283 दिनांक 10.01.2020 एवं 19881 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की अनुपालना में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है कि उक्त चिकित्सक शिक्षकों की कार्य समयावधि समाप्त होने की स्थिति में कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जावें अथवा नही?

उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल की 123वीं बैठक दिनांक 04.10.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 44 में लिये गये निर्णय एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेशों के क्रम में प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण में विचार किया जाना है।

यह भी अवगत कराया गया कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत कुछ चिकित्सक शिक्षकों की कार्य समयावधि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.10.2019 में लिये गये निर्णय से पूर्व समाप्त हो चुकी है। तत्समय परिस्थितिजन्य उन चिकित्सक शिक्षकों की कार्य समयावधि में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नही किये जा सके किन्तु उक्त चिकित्सक शिक्षक अपनी अंतिम कार्य समयावधि से निरन्तर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अपनी सेवायें दे रहे है।

एक चिकित्सक शिक्षक डॉ. अनामिका तोमर, वरिष्ठ प्रदर्शक की कार्य समयावधि में अभिवृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में निदेशालय के पत्रांक प. 1(72)(18)/डीएमई/2016 पार्ट/364 दिनांक 24.01.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि –

"Decision should be taken by RUHS following their own rules."

राज्य सरकार से प्राप्त उक्त टिप्पणी के क्रम में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अंतिम कार्य समयावधि पश्चात भी कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का उनकी अंतिम कार्य समयावधि से बकाया वेतन भुगतान किये जाने संबंधी प्रकरण भी आगामी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. जिन प्रकरणों में सेवा अवधि विस्तार की कार्यवाही की जानी हो, उनमें विश्वविद्यालय स्तर पर ही नियमानुसार **RAJMES** की भांति कार्यवाही कर दी जावे।
2. विश्वविद्यालय के सेवानियम अनुमोदन होते ही सेवानियमों के प्रावधानानुसार स्वीकृत पदों पर नियमानुसार पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से नियुक्ति की जावे।

TABLE-AGENDA

टेबल एजेण्डा सं 1

ऑर्डिनेन्स 80(6)a(v) में वर्णित नोट के अनुसार महाविद्यालयों को औचक निरीक्षण करवाये जाने के संबंध में :–

विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 80 (नोटिफिकेशन क. 01 of 2020) दि. 16.01.2020 के बिन्दु सं. (6)a(v) में विश्वविद्यालय की सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों के निरीक्षण करवाये जाने का प्रावधान है। ऑर्डिनेन्स 80 के उक्त बिन्दु 80(6)a(v) में नोट में यह भी वर्णित किया गया है कि आवश्यक समझे जाने पर किसी भी महाविद्यालय का निरीक्षण करवाये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा। उक्त अधिकार के प्रयोग में विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाने वाले निरीक्षण औचक प्रवृत्ति का भी हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं पारदर्शितापूर्ण परीक्षा आयोजन की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर महाविद्यालयों को औचक निरीक्षण भी किया जाना उचित होगा। विश्वविद्यालय के उक्त ऑर्डिनेन्स में वर्णित औचक निरीक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण करवाये जाने संबंधी नियम बनाये जाने के लिए प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निणय :

विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर जिस किसी भी महाविद्यालय का औचक निरीक्षण करवाया जाना हो तब निरीक्षणकर्ताओं की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा प्रतिकुलपति स्तर से रेन्डम सेलक्शन प्रोसेस द्वारा की जा सकेगी। महाविद्यालय की श्रेणी के अनुसार विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, संघटक महाविद्यालय के शिक्षकों (आचार्य/सह आचार्य), सम्बद्धता निरीक्षण प्रतिवेदन स्कूटनी कमेटी सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों (अनुभागाधिकारी व इससे उच्च पद) में से दो या तीन निरीक्षक ऐसे औचक निरीक्षणों हेतु रेन्डम सेलक्शन प्रोसेस के तहत नियुक्त किये जा सकेंगे।

औचक निरीक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट (परीक्षा कार्य के अलावा) को निरीक्षण मण्डल के समक्ष आवश्यक निर्णय हेतु रखा जावेगा तथा परीक्षा कार्य से संबंधित औचक निरीक्षण रिपोर्ट को परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम आवश्यक निर्णय/कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी।

टेबल एजेण्डा सं 2

शैक्षणिक कार्मिकों की परीविक्षा अवधि 24 माह से 12 किये जाने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क. 22171 दि. 07.01.2020 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में :–

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमांक प. 1(72)(19)/डीएमई/2019/894 जयपुर दिनांक 22.02.2019 में वित्त (नियम) विभाग, राज. सरकार की आई.डी. संख्या 211900039 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा की गई टिप्पणी के क्रम में, विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स 357 A(i) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की परीविक्षा अवधि 24 माह से 12 किये जाने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 5113 दिनांक 20.06.2017 द्वारा निम्नांकित चिकित्सकों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष किये जाने पर इस विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 5098 दिनांक 20.06.2017 द्वारा वेतन श्रृंखला, ग्रेड–पे एवं मूल वेतन पर स्थाई किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, को निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र दिनांक 22.02.2019 की पालना में तुरन्त प्रभाव से विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क. 22171 दि. 07.01.2020 द्वारा निरस्त किया गया है:–

क्र.सं.	चिकित्सक शिक्षक का नाम	पदनाम
01	Dr. Reshu Gupta	Asstt. Professor, RUHS CMS, Jaipur
02	Dr. Setu Mathur	Asstt. Professor, RUHS CDS, Jaipur
03	Dr. Lalit Kumar Likhyani	Asstt. Professor, RUHS CDS, Jaipur
04	Dr. Pooja Rathi	Asstt. Professor, RUHS CDS, Jaipur

उक्त वर्णित चिकित्सक शिक्षकों की अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष किये जाने से पूर्व परीविक्षा अवधि (02 वर्ष) समाप्त कर संस्थायी किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 9914 दिनांक 09.09.2014, 13266–74 दिनांक 31.10.2015 एवं 1957 दिनांक 03.05.2016 यथावत लागू होंगे। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार के पत्रांक 894 दिनांक 22.02.2019 के क्रम में उक्त चिकित्सक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष किये जाने पर चिकित्सक शिक्षकों को फिक्स वेतनमान (पूर्व मे 02 वर्ष के स्थान पर 01 वर्ष किये जाने पर) के स्थान पर एक वर्ष पूर्व नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया जो कि नियमानुसार वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्मिकों के नियुक्ति आदेशों में अंकित नियुक्ति तिथि के आधार पर 02 वर्ष परीविक्षाकाल के संतोषप्रद पूर्ण करने पर स्थायी करते हुए अधिभुगतान की वसूली किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है, जो कि प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **शैक्षणिक कार्मिकों की परीविक्षा अवधि 24 माह से 12 किये जाने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क. 22171 दि. 07.01.2020 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबल एजेण्डा सं 3 **परीक्षा समिति की बैठक दि. 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**
परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.12.2019 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **परीक्षा समिति की बैठक दि. 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(कालू राम)
सदस्य सचिव– प्रबन्ध मण्डल एवं
कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि.,
जयपुर